

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार,

श्री देवीश्रीज गुप्ता

सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड,
राँची ।

ज्ञाप संख्या-3/एस-6-प्रोन्नति-02/2002- 5207 /वि, राँची, दिनांक-14-8-2002.

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/पोस्ट-हिन्ने, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

श्री एसएसओ दुबे

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञाप संख्या-3/एस-6-प्रोन्नति-02/2002-5207/वि0, राँची, दिनांक 14-8-2002.

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

श्री एसएसओ दुबे

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञाप संख्या-3/एस-6-प्रो0-02/2002- 5207/वि0, राँची, दिनांक 14-8-2002.

प्रतिलिपि-सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

श्री एसएसओ दुबे

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञाप संख्या-3/एस-6-प्रो0-02/2002- 5207/वि0, राँची, दिनांक 14-8-2002.

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को संकल्प को झारखण्ड के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

कृपया संकल्प की दो सौ 200 प्रतियाँ वित्त विभाग, प्रशाखा-3, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ।

श्री एसएसओ दुबे

सरकार के उप सचिव, वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची ।